भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1800
(जिसका उत्तर गुरुवार, 7 मार्च, 2013/16 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)
सीसीआई को अधिक शक्तियां

1800. श्री आधि शंकर :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को और अधिक शक्तियां प्रदान करने और सभी क्षेत्रों के विलयन तथा अधिग्रहण (एम एंड ए) संबंधी सौदों को इसके क्षेत्राधिकार में लाने का निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार सीसीसाई को खोज एवं जब्ती की शक्तियां प्रदान करने का है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख): प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 विलयों एवं अधिग्रहणों से संबंधित मामलों में किसी क्षेत्र को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान नहीं करता है।

(ग) और (घ) :प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 41(3) के तहत महानिदेशक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली द्वारा प्राधिकार दिए जाने पर किसी जांच में खोज एवं जब्ती की शक्तियां प्राप्त हैं। किन्तु प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2012 में अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को ऐसे खोज एवं जब्ती हेतु महानिदेशक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को प्राधिकृत करने की शक्तियां देने का प्रस्ताव है।

यह विधेयक जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया गया, को जांच हेतु माननीय संसदीय वित्तीय स्थायी समिति को संदर्भित किया गया है।

*****